न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनिल कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56/2019

वादीगण :–

1. जसाराम पुत्र सताराम
2. पुखराज पुत्र सताराम
3. वरजूदेवी पत्नी सताराम जाति जाट निवासी मौखावा ग्राम पंचातय मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण :–

1. सताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी मौखावा ग्राम पंचायत मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. तहसीलदार– गुड़ामालानी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एंव धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते पाने घोषणा

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री जोगाराम अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 24/8/2020

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 6 व 8 का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में प्रकार है कि वादी संख्या 1 से 3 प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र व पत्नी है। मुतवली रूपाराम के वंशज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि पटवार मण्डल मौखावा मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 363/1 रकबा 118–12 बीघा की आई हुई है, जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा हो चुका है तथा धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियिम के प्रावधान के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सहदायिक है तथा समस्त सहदायिकी का बराबर हिस्सा है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री एवं प्रपौत्र–प्रपौत्री का विधि अनुसार जन्म से

Scanned with CamScanner

की सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। तथा पुत्र/पुत्री एवं प्रत्रौत्र/प्रपौत्री खातेदारी की घोषणा करवाते है तो पत्नी एवं पुत्रवधु का भी अपने पुत्र/पुत्री के साथ घोषणा करने के अधिकारी है। इसलिए वादग्रस्म आराजी में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से के सहखातेदार है। व इसी अनुसार सह खातेदार घोषित किया जाने हेतु यह वाद पेश किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित इस्तदुआ अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की है।

वादीगण वकील द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी संख्या 1 जसाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी मौखावा ग्राम पंचायत मौखावा खुर्द के बयान कलमबद्ध करवाये गये व प्रदर्श 1 ग्राम मौखावा के खसरा नम्बर 363/1 सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी की प्रति, प्रदर्श 2 ग्राम गुड़ा के खसरा नम्बर 363 की प्रथम जमाबन्दी, प्रदर्श 3 वर्तमान ग्राम मौखावा के खसरा नम्बर 363 की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2017–2020, प्रदर्श 4 ग्राम मौखावा के खसरा नम्बर 363/1 की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2047–2050, प्रदर्श 4ए वादी संख्या 2 पुखराज के आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 5ए मुझ वादी संख्या 1 के आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 6ए वादी संख्या 3 वरजूदेवी के आधार कार्ड की प्रति पेश की है।

हमने विद्वान अभिभाषक की एक बहस सुनी। दौरान बहस वादीगण वकील द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ माफिक अनुतोष दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया जाकर वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रेकर्ड व वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत प्रदर्श 1 ग्राम मौखावा के खसरा नम्बर 363/1 सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी की प्रति, प्रदर्श 2 ग्राम गुड़ा के खसरा नम्बर 363 की प्रथम जमाबन्दी, प्रदर्श 3 वर्तमान ग्राम मौखावा के खसरा नम्बर 363 की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2017–2020, प्रदर्श 4 ग्राम मौखावा के खसरा नम्बर 363/1 की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2047–2050, प्रदर्श 4ए वादी संख्या 2 पुखराज के आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 5ए मुझ वादी संख्या 1 के आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 6ए वादी संख्या 3 वरजूदेवी के आधार कार्ड की प्रति पेश का गहनता से अध्ययन व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व साक्ष्य दस्तावेजात से यह ज्ञात होता है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है तथा वादी संख्या 1 से 2 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है तथा वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है। वादग्रस्त भूमि पैतृक

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि है। जो स्व0 रूपाराम के फौत होने से विरासत में पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 सताराम को मिली थी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री एवं प्रपौत्र–प्रपौत्री का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। राजस्व रेकर्ड व वादीगण वकील द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत गहराई से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा बनता है तथा इसी माफिक वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 16.03.2020 को लिखित जवाब में वादपत्र में अंकित इन्तदुआ अनुसार दावा डिक्री किया जाने की सहमति जाहिर की गई है। वादीगण वादग्रस्त आराजी संयुक्त होने से अपने हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि पटवार मण्डल मौखावा मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 363/1 रकबा 118–12 बीघा में वादी संख्या 1 से 3 का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा खरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/8/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी
(SDO) गुड़ामालानी

Scanned with CamScanner